कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.–07723–223305, फैक्स नं.–07723–223302, Email ld-msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक /468/ क / एस.डब्ल्यू. / 2020 — महासमुंद, दिनांक 01/06/2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना (COVID-19) के संपर्क से पीडित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। अतः (COVID-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कडे सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। छत्तीसगढ शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26 / 2020 / 17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत तत्संबंध में आदेश प्रसारित किये गए हैं।

02/ महामारी रोग अधिनियम, 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26 / 2020 / 17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 206 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक / 231 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 30.03.2020, आदेश क्रमांक / 272 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 14.04.2020, आदेश क्रमांक / 346 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 03.05.2020, आदेश क्रमांक / 421 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 17.05.2020 एवं क्रमांक / 423 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 18.05.2020 के तहत् जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु **दिनांक 31.05.2020 तक** पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) एवं जिले में, उल्लेखित कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं / गतिविधियों में प्रतिबंध / शर्तों के अधीन छूट प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है।

03/ अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक बिमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः **संक्रमण से बचाव हेतु जिला महासमुन्द में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए** यह उचित प्रतीत होता है कि महासमुन्द जिले में कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 206 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक / 231 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 30.03.2020, आदेश क्रमांक / 272 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 14.04.2020, आदेश क्रमांक / 346 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 03.05.2020 एवं आदेश क्रमांक / 421 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 17.05.2020 के द्वारा लागू पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) की **समय–सीमा में वृद्धि** की जावे।

अतः मैं **कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द,** कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सम्पूर्ण जिले में लागू पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) की **समय–सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 30.06.2020 तक लागू किये जाने का आदेश पारित** करता हूं।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला-महासमुन्द (छ.ग.) ★

क्रमशः 02–

Scanned with CamScanner

04/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 01.05.2020, 17.05.2020 के संदर्भ में महासमुन्द जिले के ग्रीन जोन में होने के कारण **कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं/गतिविधियों पर लगाये गये प्रतिबंध/शर्तों के अधीन दिये गये छूट** संबंधी आदेश को समाप्त करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 30.05.2020, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 288/स.सा.प्र.वि./2020 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 31.05.2020 एवं छत्तीसगढ शासन, परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक/170/तक./टीसी/2020 नवा रायपुर दिनांक 27.05.2020 के अनुक्रम में **निम्नानुसार आदेश पारित करता हूं :–**

01. सार्वजनिक यातायात के **संसाधन –**

 A. **बस, बस स्टैण्ड आदि से यातायात प्रतिबंधित रहेगा।**

 B. महासमुन्द जिले में टैक्सी/ऑटो के परिचालन की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

  01. जिले के भीतर टैक्सी/ऑटो का परिचालन नियमानुसार हो सकेगा।

  02. अंतर–जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई–पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। **CG COVID-19 E-Pass** एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ई–पास हेतु आवेदन कर सकते हैं। वेबलिंक **https://epass.cgcovid19.in** के माध्यम से भी मोबाईल नंबर से रजिस्टर कर अंतर–जिला आवागमन के लिए ई–पास हेतु आवेदन किया जा सकता है।

  03. ऑनलाईन ई–पास के बिना अंतर–जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्यवाही की जा सकेगी।

  04. टैक्सी/ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल–फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

  05. **टैक्सी/ऑटो अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों का परिवहन नहीं करेगा। ऐसा किया जाने पर अनुमति निरस्त मानी जावेगी एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।**

02. व्यक्तियों के अर्न्तजिला एवं अर्न्तराज्यीय परिवहन **बिना अनुमति प्रवास वर्जित** होगा। केवल आपातकालीन चिकित्सा स्थिति, अपरिहार्य स्थिति या अन्य अत्यावश्यक स्थिति में ही **निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई–पास के माध्यम से आवागमन की अनुमति** अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय द्वारा दी जायेगी।

03. सभी **स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद** रहेंगे।

04. सभी **सिनेमा हॉल, जिम (व्यायाम शाला), स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं समागार** एवं इस प्रकार के स्थान **पूर्णतः** बंद रहेंगे। **शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम दिनांक 07 जून, 2020** तक बंद रहेंगे।

05. सभी प्रकार के **सामाजिक/राजनैतिक/खेल–कूद/शैक्षिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित** रहेगी।

06. सभी **सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जनसाधारण के लिए पूर्णतः** बंद **रहेंगे।** धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। **धार्मिक स्थल/पूजा के स्थल दिनांक 07 जून, 2020** तक बंद रहेंगे।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

क्रमशः 03–

Scanned with CamScanner

07. **अन्त्येष्ठि / अंतिम संस्कार** संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को इसकी सूचना एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूची देनी होगी।

08. **वैवाहिक कार्यक्रम** संबंधी आयोजन में 50 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।

09. **विदेश / अन्य राज्य / अन्य जिले से आने वाले** सभी नागरिकों को **Quarantine के नियमों** का पालन करना होगा।

10. **गुटका, तम्बाखू, गुड़ाखू का उपयोग एवं थूकना** सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर जुर्माना किया जाएगा।

11. **आवासीय होटल / लॉज 07 जून 2020 तक बंद रहेंगे।** ग्रामीण एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित ढाबे **दिनांक 07 जून 2020 तक ढाबे / होटल में डायनिंग फैसिलिटी नहीं रहेगी, केवल पैक्ड फूड** ही उपलब्ध कराया जाएगा।

12. सभी कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम अपने समय पर खुलेंगे। सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि **प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक एवं मेडिकल स्टोर्स प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक** खुली रहेंगी। ऐसी दुकानें और प्रतिष्ठान सामान्य दिनों की तरह **सप्ताह में 06 दिन खुलेंगे एवं पूर्व की भांति साप्ताहिक अवकाश के 01 दिन बंद** रहेगी एवं उक्त दिवस **आवश्यक सेवाएं** चालू रहेंगी।

13. ठेला / गुमटी संचालक को ठेले / गुमटी में केवल **टेकअवे** का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। **02 ठेलों / गुमटियों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी** रहेगी। **ठेले / गुमटी में खड़े होकर खाने की सुविधा नहीं दी** जायेगी। ठेले के पास गोल मार्किंग की जायेगी, दूरी बनाकर खड़ा होना होगा।

14. **65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, सह–रूग्णता / बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अत्यावश्यक एवं स्वास्थ्यगत कारणों को छोड़कर, घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है।**

15. महासमुन्द जिला अंतर्गत **सायं 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं आवागमन प्रतिबंधित** रहेगा।

16. व्यक्ति को **सार्वजनिक स्थानों पर** अपने मुह एवं नाक को ढकने के लिए **मास्क / गमछा / कपड़ा का उपयोग एवं सोशल–फिजिकल डिस्टेंसिंग** का पालन अनिवार्य होगा।

05/ सभी कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी, कि लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।

06/ कंटेनमेंट जोन में पैरा 04 में उल्लेखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। केवल अत्यावश्यक सेवाओं को ही अनुमति होगी।

07/ उपरोक्त आदेशों एवं दिशा–निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

क्रमशः 04–

Scanned with CamScanner

08/ कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश,

–क्रमांक 206/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 22.03.2020
–क्रमांक 231/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 30.03.2020
–क्रमांक 272/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 14.04.2020
–क्रमांक 346/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 03.05.2020
–क्रमांक 421/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 17.05.2020

के अनुक्रम (Continuation) मे इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

01-06-2020

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/468/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुंद, दिनांक 01/06/2020

प्रतिलिपि :–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
04. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
07. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, महासमुन्द को आदेश की एक प्रति जिले की वेबसाईट में अपलोड किये जाने बावत्।
12. सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

Scanned with CamScanner